न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/150 (प्राथमिक डिकी) **दायरा दिनांक : 13.09.2022**

उनवान

1. नेमीचन्द पुत्र मोतीलाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
2. रामेश्वर पुत्र मोतीलाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
3. श्रवणीबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि भंवरलाल, जाति कुम्हार, निवासी सीसवाली, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज.)
4. कंचनबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि घनश्याम, जाति कुम्हार, निवासी पितामपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.) .... अपीलांट

बनाम

1. लालचन्द पुत्र रामनारायण, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
2. बद्रीलाल पुत्र रामनारायण, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
3. बंशीलाल पुत्र रामनारायण, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
4. बलराम पुत्र रामनाथ, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
5. देवबाई पुत्री रामनाथ पत्नि बद्रीलाल, जाति कुम्हार, निवासी फाटरडो, तहसील बारां, जिला बारां (राज.)
6. पार्वती बाई पुत्री रामनाथ पत्नि छोटूलाल, जाति कुम्हार, निवासी सनखेडी, तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज.)
7. पन्नालाल पुत्र माधोलाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   - 7/1 भूलीबाई बेवा पन्नालाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
   - 7/2 भंवरलाल पुत्र पन्नालाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
   - 7/3 कान्तिबाई पुत्री पन्नालाल पत्नि रामकरण, जाति कुम्हार, निवासी गोल्याखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
   - 7/4 रामदयाल पुत्र पन्नालाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.) मृतक जरिये कायम मुकामान :–
     - 7/4/1 नीलू पुत्री रामदयाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
     - 7/4/2 हरीश पुत्र रामदयाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
     - 7/4/3 शीलू पुत्री रामदयाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

झालावाड़ (राज.)

7/4/4 सुनिता पत्नि रामदयाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज)

7/5 सुमित्रा बाई पुत्री पन्नालाल पत्नि दुर्गालाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)

7/6 कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

7/7 कौशल्या पुत्री पन्नाला जाति कुम्हार निवासी करनवास तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज.)

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड, राज.

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/151 (फाइनल डिक्री) **दायरा दिनांक : 13.09.2022**

उनवान

1. नेमीचन्द पुत्र मोतीलाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
2. रामेश्वर पुत्र मोतीलाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
3. श्रवणीबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि भंवरलाल, जाति कुम्हार, निवासी सीसवाली, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज.)
4. कंचनबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि घनश्याम, जाति कुम्हार, निवासी पितामपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. लालचन्द पुत्र रामनारायण, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
2. बद्रीलाल पुत्र रामनारायण, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
3. बंशीलाल पुत्र रामनारायण, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
4. बलराम पुत्र रामनाथ, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
5. देवबाई पुत्री रामनाथ पत्नि बद्रीलाल, जाति कुम्हार, निवासी फाटरडो, तहसील बारां, जिला बारां (राज.)
6. पार्वती बाई पुत्री रामनाथ पत्नि छोटूलाल, जाति कुम्हार, निवासी सनखेडी, तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज.)
7. पन्नालाल पुत्र माधोलाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–

7/1 भूलीबाई बेवा पन्नालाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

7/2 भंवरलाल पुत्र पन्नालाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

7/3 कान्तिबाई पुत्री पन्नालाल पत्नि रामकरण, जाति कुम्हार, निवासी गोल्याखेड़ी,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

7/4 रामदयाल पुत्र पन्नालाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.) मृतक जरिये वारिसान मुकामान :—

7/4/1 नीलू पुत्री रामदयाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

7/4/2 हरीश पुत्र रामदयाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

7/4/3 शीलू पुत्री रामदयाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

7/4/4 सुनिता पत्नि रामदयाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज)

7/5 सुमित्रा बाई पुत्री पन्नालाल पत्नि दुर्गालाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)

7/6 कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल, जाति कुम्हार, निवासी करनवास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

7/7 कौशल्या पुत्री पन्नाला जाति कुम्हार निवासी करनवास तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज.)

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड, राज.

.... रेस्पोडेंट

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मुकेश मीणा एवं श्री ललित नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 7/1 ल. 7/7, की ओर से। शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 04.04.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 427/दावा/2006 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.05.2011 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.07.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम करनवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्रसारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

झालावाड के माल में नयी जमाबंदी खाता 101 पुरानी 101 की खसरा नम्बर 141 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 443 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 505 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 513 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 516 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 564 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 565 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 515 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा कुल 10 किता की 69 बीघा 14 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 4 के शामलाती खाते की स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.05.2011 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.07.2013 से वाद वादी डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2022/150 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इस मामले में रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए धोखाधड़ी के कृत्य से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश प्राप्त किया है। न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं हुए हैं। अपीलान्ट रामेश्वर हस्ताक्षर करना ही नहीं जानता है। अपीलान्ट नेमीचन्द और रामेश्वर की ओर से भी इस मामले के वादीगण ने अपने स्तर पर ही फर्जी व्यक्ति खड़ा करके वकालतनामा श्री आफताबउद्दीन एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत करवा दिया। पत्रावली में मौजूद न्यायालय के सम्मन और अपीलान्ट/प्रतिवादी नेमीचन्द और रामेश्वर के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत वकालतनामे दोनों को प्रथम दृष्टया देखा जाए तो हस्ताक्षर भी मेल नहीं खाते हैं। रामेश्वर जो सभी सरकारी कागजों पर, बैंक खाते में अंगूठा निशानी करता आया है उसके अंगूठा निशानी की जगह हस्ताक्षर बता दिये गए हैं। इस मामले में रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण की आपराधिक षड्यंत्र की भूमिका रही है। इस मामले में न्यायालय की डिक्री की जानकारी दिनांक 22.08.2022 को पहली बार अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को हुई है। अपीलान्ट नेमीचन्द और रामेश्वर ने पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़ के समक्ष दिनांक 29.08.2022 को परिवाद देकर उनके साथ हुए धोखाधड़ी के कार्य को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के द्वारा इस मामले में पुलिस थाना सारोलाकलां को अनुसंधान करने के आदेश दिए गए हैं। अपीलान्ट का स्पष्ट कथन है कि उन पर विधि पूर्वक सम्यक रूप से तामील नहीं कराई गई है। इसलिए वह अपना बचाव और प्रतिरक्षा अधीनस्थ न्यायालय खानपुर में पेश करने में विफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय खानपुर के द्वारा जारी की गई प्रारम्भिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से अपास्त होने योग्य है। इस मामले में तथ्य भी देखे जाये तो उसके अनुसार खसरा नम्बर 443 की 3 बीघा 1 बिस्वा इन्तकाल संख्या 790 दिनांक 30.04.1963 को केवल रामनारायण, मोती और रामनाथ को ही मिली थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 7 पन्नालाल का कोई हिस्सा इस आराजी में नहीं था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी अपीलान्ट न्यायालय में पेश करने से वंचित हो गए

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हैं। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 141 में खेडा के हनुमान जी वाली गडार पर 6 बीघा भूमि पर कब्जा आरम्भ से ही चला आया है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी अपीलान्ट पेश करने में वंचित हो गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय और प्रारम्भिक डिक्री राजस्व विधि और सिविल विधि के आज्ञापक प्रावधानों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड का निर्णय डिक्री दिनांक 30.05.2011 अपास्त किया जावे। विकल्प में यह भी निवेदन है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करते हुए पुनः सुनवाई करने के आदेश भी फरमाये

अपील संख्या 2022/151 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मूल वाद संख्या 427/2006 दायरा दिनांक 23.01.2006 में रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए धोखाधड़ी के कृत्य से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश प्राप्त किया है। न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं हुए हैं। अपीलान्ट रामेश्वर हस्ताक्षर करना ही नहीं जानता है। अपीलान्ट नेमीचन्द और रामेश्वर की ओर से भी इस मामले के वादीगण ने अपने स्तर पर ही फर्जी व्यक्ति खड़ा करके वकालतनामा श्री आफताबउद्दीन एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत करवा दिया। पत्रावली में मौजूद न्यायालय के सम्मन और अपीलान्ट/प्रतिवादी नेमीचन्द और रामेश्वर के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत वकालतनामे दोनों को प्रथम दृष्टया देखा जाए तो हस्ताक्षर भी मेल नहीं खाते हैं। रामेश्वर जो सभी सरकारी कागजों पर, बैंक खाते में अंगूठा निशानी करता आया है उसके अंगूठा निशानी की जगह हस्ताक्षर बता दिये गए हैं। इस मामले में रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण की आपराधिक षड्यंत्र की भूमिका रही है। इस मामले में न्यायालय की डिक्री की जानकारी दिनांक 22.08.2022 को पहली बार अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को हुई है। अपीलान्ट नेमीचन्द और रामेश्वर ने पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़ के समक्ष दिनांक 29.08.2022 को परिवाद देकर उनके साथ हुए धोखाधडी के कार्य से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के द्वारा इस मामले में पुलिस थाना सारोलाकलां को अनुसंधान करने के आदेश दिए गए हैं। अपीलान्ट का स्पष्ट कथन है कि उन पर विधि पूर्वक सम्यक रूप से तामील नहीं कराई गई है। इसलिए वह अपना बचाव और प्रतिरक्षा अधीनस्थ न्यायालय खानपुर में पेश करने में विफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय खानपुर के द्वारा जारी की गई प्रारम्भिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से अपास्त होने योग्य है। इस मामले में तथ्य भी देखे जाये तो उसके अनुसार खसरा नम्बर 443 की 3 बीघा 1 बिस्वा इन्तकाल संख्या 790 दिनांक 30.04.1963 को केवल रामनारायण, मोती और रामनाथ को ही मिली थी। इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी संख्या 7 पन्नालाल का कोई हिस्सा इस आराजी में नहीं था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी अपीलान्ट न्यायालय में पेश करने से वंचित हो गए हैं। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 141 में खेड़ा के हनुमान जी वाली गडार पर 6

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बीघा भूमि पर कब्जा आरम्भ से ही चला आया है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी अपीलान्ट पेश करने में वंचित हो गए हैं। न्यायालय खानपुर के आदेश क्रमांक 932/राजस्व/दिनाक 01.06.2011 के अनुपालन में प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा प्रस्ताव तलब किये गये थे, किन्तु तहसीलदार खानपुर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया और मौके पर नहीं गये, केवल भू–अभिलेख निरीक्षक सारोलाकलां से रिपोर्ट तलब करवा ली और उसी की रिपोर्ट पर बंटवारा प्रस्ताव राजस्व न्यायालय खानपुर को भेज दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय खानपुर ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार खानपुर के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय किसी भी पक्षकार को कोई सूचना नहीं दी गई। केवल लालचंद के षड्यंत्र में बंटवारा प्रस्ताव भिजवा दिया गया। अन्तिम डिक्री राजस्थान भू–आराजी बंटवारा नियम 18–21 के विरूद्ध होने से शुरू से ही नल एण्ड वोईड है। खसरा नं. 141 पर खेड़ा के हनुमान जी वाली गडार के सटवा अपीलान्ट का कब्जा पिता के जीवनकाल से ही है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नकार दिया गया और बंजड बीड जो उपजाऊ नहीं है, उसको अपीलान्ट को दे दिया गया है। खसरा नं. 515, 516, 564, 565, 505 की आराजी पर बरसात में जंगलों का पानी बहकर आता है और खाद, मिट्टी बहाकर ले जाता है। इस प्रकार बुरे किस्म की आराजी अपीलान्ट के खाते दर्ज की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय और अन्तिम डिक्री राजस्व विधि और सिविल विधि के आज्ञापक प्रावधानों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर जिला झालावाड़ का निर्णय डिक्री दिनांक 11.07.2013 अपास्त किया जावे। विकल्प में यह भी निवेदन है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करते हुए पुनः सुनवाई करने के आदेश भी फरमाय जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.08.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.05.2011 का प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 ता 7 ने 1/4 हिस्से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की घोषणा व बंटवारे का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय से चाहा है। रामेश्वर अपीलांट नं. 2 को सम्मन जारी हुआ उस पर हस्ताक्षर अंकित है, जबकि रामेश्वर हस्ताक्षर करना नहीं जानता है वह अनपढ़ व्यक्ति है। नेमीचन्द के सम्मन पर हस्ताक्षर अंकित है जबकि सहा हस्ताक्षर से सम्मन पर हुए हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं। वकालतनामा और सम्मन पर नेमीचन्द के हस्ताक्षर भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से वकील उपस्थित नहीं हुए। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित हुई। डिक्री धोखाधडी से प्राप्त की है। हमें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये जिससे हम अपना पक्ष रख सके। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.05.2011 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.07.2013 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में डी.एन. जे. (राज0) 2023 (1) पेज 69, सुप्रीम कोर्ट 2025 निर्णय दिनांक 11.02.2025 पेज 183, ए. आई.आर. 2007 (एस.सी.) पेज 1546, ए.आई.आर. 1994 एस.सी. पेज 853 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट के द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी, खानपुर जिला झालावाड़ में वाद अंतर्गत धारा 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम करनवास की जमाबंदी संवत 2059 से 2062 के खाता संख्या 101 की 10 किता रकबा 69.14 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पूर्व व वादी क्रम 8 के पिता माधोलाल के खाते से आयी है। खातेदार माधोलाल के चार पुत्र क्रमशः रामनारायण, रामनाथ, मोतीलाल, पन्नालाल थे, रामनारायण, रामनाथ, मोती लाल का स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण क्रम 1 लगायत 4 रामनारायण के वादी क्रम 5 लगायत 7 औकारी बाई बेवा रामनाथ व खातेदार रामनाथ एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 मोतीलाल के वारिसान हैं। खातेदार औंकारी बाई बेवा रामनाथ का स्वर्गवास हो गया है तथा वादीगण क्रम 5 लगायत 7 मृतक औंकारी बाई के जायज वारिसान हैं एवं उत्तराधिकारी है और इस प्रकार विवादित आराजी में वादीगण 1 लगायत 4 का 1/4 वादीगण क्रम 5 लगायत 7 का 1/4, वादी क्रम 8 का 1/4 एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 का हिस्सा बनता है। जो शामलाती खातेदारी में दर्ज है। खातेदारान के मध्य विवाद बना रहता है इसलिए उक्त आराजी का विधिवत रूप से विभाजन कर पृथक–पृथक खाते दर्ज कराना चाहते हैं। इस आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2011 के आधार पर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की है।

अपीलांट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त अपील को 11 वर्ष की लम्बी समयावधि के पश्चात् पेश किया है और लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र में झूठे व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मनगढंत कथन आलेखित किये हैं एवं झूठा शपथ पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। यहां रेस्पोडेंट का निवेदन है कि अपीलांट ने सन् 2011 में निर्णय व डिक्री पारित हुआ तथा सन 2013 में अंतिम डिक्री मय विभाजन प्रस्तुत तैयार की गई और पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक खातेदारी में आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई एवं पृथक–पृथक जमाबंदी तैयार की गई। उपरोक्त जमाबंदी का अपीलांट ने समय–समय पर अवलोकन किया तथा आराजी के सम्बन्ध में मुआवजा राशि प्राप्त करने तथा बैंक ऋण प्राप्त करने तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए जमाबंदी का अवलोकन किया गया। 11 वर्ष की लम्बी अवधि के अंतराल में निश्चित रूप से अपीलांट ने उपरोक्त जमाबंदी का अवलोकन किया होगा जिससे अपीलांट्स को निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2011 की पूर्ण रूप से जानकारी हो गई थी। परन्तु उसके बावजूद भी समयावधि के अंदर–अंदर यह अपील माननीय न्यायालय में पेश नहीं की है जो सपष्ट रूप से कालबाधित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को स्थापित कर दिया है कि अपील की सुनवाई करने के पूर्व लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। जब तक मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र तय नहीं हो जाता तब तक अपील की विधिवत सुनवायी नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायिक निर्णय रेस्पोडेंट पेश कर रहा है:–

डी एन जे राजस्थान 2002 राजस्थान पेज नम्बर 1082, डी एन जे राजस्थान 2013 (3) पेज नम्बर 1321, डी एन जे राजस्थान 2012 (2) पेज नम्बर 781, आर आर डी 1997 पेज नम्बर 350, आर आर डी 1994 पेज नम्बर 134, एस एस सी 2002 (1) पेज नम्बर 475, आर आर टी 2017 (1) पेज नम्बर 117, डी एन जे 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 829, आर बी जे 2001 (8) पेज नम्बर 258, आर बी जे 2000 (7) पेज नम्बर 414, ए आई आर 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 2276, आर आर डी 2002 पेज नम्बर 528, आर आर टी 2008 (1) पेज नम्बर 440, आर आर टी 2021 (1) पेज नम्बर 71 व आर आर टी 2009 (1) पेज नंबर 179

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व न्यायालय अजमेर ने स्पष्ट रूप से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया है, और अपील को विधिवत सुनवायी किये जाने के पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को तय किया जाना आवश्यक है। साथ ही यह भी अपील पेश करने व देरी के आधार मनगढंत व झूठे तैयार किये गये है। तो स्पष्ट रूप से अपील को खारिज किया जाना चाहिए।

अपीलांट ने उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी व मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील देरी से प्रस्तुत करने का यह कारण यह स्पष्ट किया है कि खसरा नम्बर 141 में खेडा के हनुमान जी की गडार के हिस्से पर अपीलांट की सोयाबीन की फसल खड़ी हुई थी जिसको रेस्पोडेंट ने नष्ट कर दिया जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना सारोला में दर्ज की गई जिस पर निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 24.07.2022 को प्राप्त हुई। परन्तु उक्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कथन अपीलांट ने बनावटी तैयार किए हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2011 के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री पारित की और दिनांक 11.07.2013 को संयुक्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार खानपुर से प्राप्त कर उक्त आराजी को चार हिस्सो में विभक्त कर बंटवारा कर दिया एवं पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी में इन्द्राज कर दिया और राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज में दर्ज कर दी एवं पृथक पृथक जमाबंदी तैयार कर दी। इस आधार पर भी अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज की जावे।

अपीलांट ने अपने मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह भी आधार लिए है कि रेस्पोडेंट ने नेमीचंद व रामेश्वर के फर्जी हस्ताक्षर किये एवं माननीय अधीनस्थ न्यायालय खानपुर को गुमराह किया है एवं धोखे से निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। यहां अपीलांट का निवेदन है कि अपीलांट ने अपील को समयावधि में लेने के लिए अपील के झूठे आधार तैयार किए हैं जिससे कि अपील में डिले कण्डोन किया जा सके। वास्तविकता यह है कि नेमीचंद व रामेश्वर ने अपना वकालतनामा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है एवं अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है एवं अधिवक्ता ने जवाब पेश करने का समय चाहा है। अधिवक्ता महोदय के द्वारा समय पर जवाब पेश ना करने पर जवाब का अवसर बंद किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट को उक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 21.04.2010 को ही हो गई थी और उसके पश्चात प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 2 ने अपना अधिवक्ता नियुक्त किया एवं प्रतिवादी कम 3 लगायत 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलांट ने अपनी अपील में झूठे व मनगढंत कथन के आधार पर मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व अपील में लिए हैं। जबकि अपीलांट को उक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 21.04.2010 से ही निरंतर रूप से चली आ रही थी। परन्तु उसके बावजूद भी अपीलांट ने उक्त निर्णय व डिक्री की अपील विधिवत समयावधि में प्रस्तुत नहीं की। इस आधार पर भी अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांट नेमीचंद व रामेश्वर के द्वारा जो वकालतनामा जरिये अधिवक्ता आफताबुददीन एडवोकेट ने प्रस्तुत किया है उस पर हस्ताक्षरों से इंकार किया है और उक्त हस्ताक्षरों को फर्जी होना बताया है और इस सम्बन्ध में एक परिवाद पुलिस अधीक्षक झालावाड को प्रस्तुत किया है। अपीलांट के द्वारा उक्त परिवाद इसलिए प्रस्तुत किया है कि रामेश्वर व नेमीचंद के हस्ताक्षरों को फर्जी बताते हुए अपील का डिले कण्डोन करवा लिया जाए। जबकि अनुसंधान अधिकारी सारोलाकलां के थानाधिकारी ने परिवाद की जांच कर यह उल्लेख किया है कि हस्ताक्षर फर्जी नहीं है। इसके सम्बन्ध में कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की जा सकती है। जब अनुसंधान अधिकारी ने उक्त हस्ताक्षरों को फर्जी होना माना ही नहीं तो किसी भी प्रकार से फर्जी हस्ताक्षर होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यदि अनुसंधान अधिकारी ने उक्त हस्ताक्षरों को फर्जी होना माना है तो उसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। परन्तु अपीलांट के द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई मात्र अपील में उसका उल्लेख कर दिया गय। परन्तु उसका कोई सबूत माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया इस आधार पर भी अपीलांट की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

प्रकरण में अपीलांट्स के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता नियुक्त किया गया है और प्रकरण में पैरवी करने के लिए वकालतनामा जारी किया गया है। इसलिए पक्षकार के द्वारा की गई गलती को अधिवक्ता के ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। अपीलांट का यह नैतिक कर्त्तव्य था कि वह अपने अधिवक्ता से जाकर मिलते तथा प्रकरण की जानकारी करते परन्तु अपीलांट ने वकालतनामा अपने अधिवक्ता को देने के पश्चात माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसलिए जवाब का अवसर बंद कर दिया गया और एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में दिनांक 30.05.2011 को निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। इसलिए पक्षकार अपनी अवेरनेस का फायदा अधिवक्ता पर डालकर प्राप्त नहीं कर सकते इस आधार पर भी धारा 5 मिया. अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट के द्वारा जो वाद माननीय अधनीस्थ न्यायालय में पेश किया गया है वह धारा 53 बंटवारे से सम्बन्धित है। उक्त निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात भी अपीलांट के कोई अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं। अर्थात अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार अच्छे में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी प्रदान की है तथा अपीलांट को उसका 1/4 हिस्सा जो उक्त आराजी में निहित था उक्त 1/4 हिस्से को माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2011 के आधार पर अपीलांट को प्रदान किया गया है। इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये निर्णय व डिक्री सही है एवं विधि सम्मत पारित की गई है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर विनय है कि रेस्पोन्डेंट्स की लिखित बहस क। अवलोकन करते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील में विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी रेस्पोडेंटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम करनवास की जमाबंदी सम्वत 2059–2062 की खाता संख्या 101 की कुल 10 किता रकबा 69.14 बीघा शामलाती खाते की आराजी में वादीगण 1 लगायत 4 को 1/4, वादीगण 5 लगायत 7 को 1/4, वादी नम्बर 8 को 1/4 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर उपरोक्त आराजी का पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज कर हिस्से अनुसार आराजी का विभाजन कर कब्जा आराजी संभलाया जावे तथा इसी प्रकार अमल राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर कर्ताराज का विभाजन किया जावे इस हेतु दावा प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2011 में अंकित किया है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की ओर से आफताब उद्दीन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी नम्बर 3, 4 व 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा पेश करने से मना करने पर जवाबदावा बन्द किया गया परन्तु प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं फाइनल डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि संदर्भित प्रकरण में रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए धोखाधडी से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं हुए। अपीलांट रामेश्वर हस्ताक्षर करना नहीं जानता। अपीलांट नेमीचन्द और रामेश्वर की ओर से इस मामले के वादीगण ने अपने स्तर पर ही फर्जी व्यक्ति खडा करके वकालतनामा श्री आफताब उद्दीन एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत करवा दिया। पत्रावली में मौजूद न्यायालय के सम्मन और अपीलांट प्रतिवादी नेमीचन्द और रामेश्वर के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत वकालतनामे दोनों को प्रथम दृष्टया देखा जाये तो हस्ताक्षर भी मेल नहीं खाते हैं। रामेश्वर जो सभी सरकारी कागजों पर, बैंक खाते में अंगूठा निशानी करता आया है उसके अंगूठा निशानी की जगह हस्ताक्षर बना दिये हैं। अपीलांट पर विधि पूर्वक सम्यक रूप से तामील नहीं करवायी गई है। इसलिए अपीलांट अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने में विफल हुए हैं।

अपीलांट नेमीचन्द और रामेश्वर ने वादीगण द्वारा कारित धोखाधडी के सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड के समक्ष दिनांक 29.08.2022 को परिवाद दर्ज कराना प्रस्तुत अपील में अंकित किया। इसकी पुष्टि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में आर्डर 41, नियम 27 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट व अंतिम रिपोर्ट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की प्रमाणित नकल से होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज नम्बर 44 पर सलंग्न वकालतनामे के अवलोकन से यह स्पष्ट होता कि प्रतिवादी नेमीचन्द व रामेश्वर की ओर से आफताबउद्दीन एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ है। इस पर नेमीचन्द व रामेश्वर के हस्ताक्षर अंकित है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नेमीचन्द व रामेश्वर के नाम जारी सम्मन दिनांक 28.01.2006 में तामील के सन्दर्भ में नेमीचन्द व रामेश्वर के हस्ताक्षर के साथ दो गवाह भीमराज पुत्र कन्हैयालाल एवं मोहनलाल पुत्र नाथूलाल के हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रतिवादी नेमीचन्द व रामेश्वर के वकालतनामे पर अंकित हस्ताक्षर और सम्मन पर किये गये हस्ताक्षरों में प्रथम दृष्टया भिन्नता प्रतीत होती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत थानाधिकारी, पुलिस थाना सारोलाकलां, जिला झालावाड की एफ.आई.आर. नम्बर 0123 दिनांक 02.06.2023 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31.12.2023 की प्रमाणित नकल में अपीलांट रामेश्वर के सम्मन पर किये गये हस्ताक्षर के सदंर्भ में अंकित किया है कि फरियादी रामेश्वर के फर्जी हस्ताक्षर अदालत के सम्मन और वकालतनामे पर हो रहे हैं। फरियादी रामेश्वर अनपढ़ व्यक्ति है। जो अंगूठा करता है व हस्ताक्षर नहीं जानता है। जिनके फर्जी हस्ताक्षर तहसील खानपुर से जारी सम्मन पर किये गये हैं। फरियादी रामेश्वर पुत्र मोतीलाल, जाति कुम्हार, निवासी करणवास के अंगूठा/हस्ताक्षर की तस्दीक करने हेतु फरियादी के खाता संख्या 3268302450 का सेन्ट्रल बैंक खानपुर से प्रमाणित अंगूठा/हस्ताक्षर का रिकार्ड प्राप्त किया गया जिसमें फरियादी रामेश्वर का अंगूठा निशानी होना पाया गया जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत नकल अंतिम रिपोर्ट में तामील कुनिन्दा के सन्दर्भ में यह अंकित किया है कि तामील कुनिन्दा श्री रामप्रसाद पुत्र रामगोपाल मीणा, निवासी आतरवाडा थाना सारोलाकलां से अनुसंधान हेतु तलाश की गई तो तामील कुनिन्दा की मौत होना पाया गया। जिस पर सम्मन में गवाहान भीमराज पुत्र कन्हैयालाल व मोहनलाल पुत्र नाथूलाल निवासी करणवास थाना सारोलाकला के बयान हेतु तलाश की गई तो दोनों ही गवाहान के नाम पते गलत पाये गये जिसके बारे में ग्राम पंचायत करणवास से दोनों गवाहान की तस्दीक शकुनत प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में सम्पूर्ण अनुसंधान से पाया गया कि तहसील खानपुर से जारी सम्मन की तामील तहसील जमादार रामप्रसाद पुत्र रामगोपाल मीणा, निवासी आंतरवाडा थाना सारोलाकलां द्वारा फर्जी तामील करवायी गई है तथा जिस पर अंकित गवाहान के नाम भी फर्जी लिखे गये हैं। परन्तु प्रकरण हाजा में तामील कुनिन्दा की मौत होने पर प्रकरण हाजा में अनुसंधान नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में सम्पूर्ण अनुसंधान से संकलित लिखित/मौखिक/दस्तावेजी/भौतिक साक्ष्यों के आधार से मामला एफ.आर. फोती मुलजिम का घटित होना पाया गया।

रेस्पोडेंटगण द्वारा सम्मन पर अंकित रामेश्वर के हस्ताक्षर के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि रामेश्वर अंगूठा नहीं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लगाता, हस्ताक्षर करता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर. नम्बर 01[illegible] दिनांक 02.06.2023, नकल अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31.12.2023 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील विधिवत रूप से अपीलांट नेमीचन्द व रामेश्वर पर नहीं करवायी गई है, जिसके कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी एवं अंतिम डिकी को खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2022/150 एवं 2022/151 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.05.2011 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.07.2013 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों का विवेचन कर पश्चात् पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.06.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

04/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा